(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 439-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-1-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 214/अपील/2014-15

———

भगवानलाल उर्फ भजनलाल पुत्र स्व0विरखाराम
निवासी ग्राम बेहटा तहसील व जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

कैलाशीबाई पुत्री स्व0 विरखाराम पत्नी प्रतापसिंह
निवासी 72, तिलकनगर, सिंधी कालोनी, कम्पू, लश्कर,
ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री अवधेश किशोर शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-1-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बेहटा की भूमि सर्वे क्रमांक 889/1 मिन-2 एवं 889/2, 1060 किता 3 कुल रकबा 1.087 हेक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.362 हेक्टेयर भूमिस्वामी आवेदक की मॉ के दिनांक 17-2-13 को स्वर्गवास होने से वारिसान हक पर अनावेदिका द्वारा वाद भूमि पर अपना भी नामान्तरण तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश 12-4-13 से करा लिया गया है जबकि आवेदक के पक्ष में आवेदक की मॉ द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 14-5-2010 को की गई है । वसीयत के बावजूद भी अनावेदक ने वाद भूमि पर नामान्तरण पंजी में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश से अपने नाम नामान्तरण करा लिया है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12-8-13 को आदेश पारित तहसील न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई व वाद भूमि पर आवेदक का नामान्तरण किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11-1-17 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी व तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर उभयपक्ष विधि अनुसार नामान्तरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) तहसील न्यायालय द्वारा स्वयं के आदेश द्वारा विवादित आदेश पारित किया था परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण पत्रावली व अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये साक्ष्य का समुचित अवलोकन कर आवेदक के पक्ष में विधिक आदेश पारित किया था किन्तु अपर आयुक्त द्वारा किन परिस्थितियों व साक्ष्य के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया इसका उल्लेख आदेश में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा अपने विवादित आदेश में इस तथ्य को नहीं देखा है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर तथा साक्ष्य एवं अभिलेख का अवलोकन करने के बाद ही आवेदक की अपील स्वीकार की थी एवं

वसीयत के साक्षीगण द्वारा इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अनावेदक जो आवेदक की सगी बहन है व अनावेदिका द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि पूर्व में ही विक्रय कर दी है इसलिये अब उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा अनावेदिका का नहीं बनता है । आवेदक को परेशान करने के लिये विवाद उत्पन्न किया गया है । अत: अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक भूल की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण में उभयपक्ष को विधि अनुसार नामान्तरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया है जो प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । यह भी कहा गया कि आवेदक के द्वारा वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है अनावेदक को अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि वादित संपत्ति पैतृक है अथवा स्वअर्जित, क्योंकि पैतृक संपत्ति में वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी को उसके हक से बंचित नहीं किया जा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14-12-2017 को पुन: आदेश पारित कर दिया गया है, जिसकी अपील भी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को कर दी गई है । अत: अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अब यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर